संख्या - 3524 /70-6-2004 -2(319)2004

प्रेषक,

जगन्नाथ बाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊः दिनाँकः 31 दिसम्बर, 2004

विषयः - नवीन महाविद्यालय/पाठ्यकम की स्थापना/संचालन हेतु क्लीयरेंस प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 9056/सम्बद्धता/2004, दिनाँक 8-10-2004 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित राम भरोसे पाण्डेय महिला महाविद्यालय खजुरिया, सिद्धार्थनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान - - - - - - - - - - - - - -

विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य ------------- प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है :

(1) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी ।

(2) उक्त पाठ्यकम श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा । विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी ।

(3) उक्त पाठ्यकम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।

(4) उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार की होगी ।

(5) उक्त पाठ्यक्रम के बावत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा ।

(6) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

(7) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन संस्था द्वारा अनापत्ति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि ग्राम खजुरिया तप्पा पचहर परगना बाँसी पूरब तहसील बाँसी, पोस्ट मउ जिला सिद्धार्थनगर के अराजी नं0-1/0. 343, 73/0. 458, 163/0. 573 जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1. 374 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित भवन में किया जायेगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति आदेश स्वत: निरस्त हो जायेगी।

(8)- सम्बद्धताकी कार्यवाही किये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि मानकानुसार राजस्व अभिलेखों में महाविद्यालय के नाम अंकित है।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

संख्या- 3524 (1)/70-6-2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्धक, राम भरोसे पाण्डेय महिला महाविद्यालय, खजुरिया, सिद्धार्थनगर।

2- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव